"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2016— चैत्र 17, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-16/2016/वाक/पांच (25). — केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक हित में यह निर्देश देती है कि किसी ऐसे व्यापारी, जिसके व्यवसाय का स्थान छत्तीसगढ़ में हो, के द्वारा इलेक्ट्रो-फोर्ज्ड ग्रेटिंग के विक्रय के संबंध में, ऐसे किसी व्यवसाय स्थल में अन्तर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के अनुक्रम में दिनांक 1-4-2016 से 31-03-2017 तक की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन देय कर की संगणना, ऐसे विक्रय के टर्न ओवर पर एक प्रतिशत की दर से, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) में अधिकथित की गई अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए, की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ-10-16/2016/वाक/पांच (25). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-16/2016/वाक/पांच (25), दिनांक 31-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F -10-16/2016/CT/V(25) . — In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, in public interest directs that the tax payable under the said Act by a dealer, having his place of business in Chhattisgarh, in respect of the sale of electro-forged gratings from any such place of business in the course of inter-state trade or commerce for the period from 1-4-2016 to 31-3-2017 shall be calculated at the rate of one percent on his turnover of such sales, subject to the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4) of Section 8 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.